न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 197/2016

तारो बाई पत्नी सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर । — अपीलार्थी

बनाम

1. हरदीपसिंह पुत्र मुकन्दसिंह (हरदीप सिंह उर्फ गगड़सिंह पुत्र मुकन्दसिंह) निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरबचनसिंह द्वारा मुखत्यारे आम राजवन्तसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी 2 जेएसएम नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
4. गुरजन्टसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखदेवसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम. एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील संख्या 202/2016

तारो बाई पत्नी सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर । — अपीलार्थी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जरिये मुखत्यारे आम राजवन्तसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी 2 जेएसएम नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. सुखदेवसिह पुत्र जगीरसिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

12/1/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. गुरजण्टसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर । ——रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीगंगानगर

दिनांक 03.11.2016

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 12.01.2018**

अपील संख्या 197/2016 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि नारायणसिह के नाम से चक 1 जे.बड़ा के मु.नं. 31, 34, 36 की 1.136 है0 दर्जशुदा भूमि को विकय करने का सौदा करके कब्जा वादीगण को दिया गया। संविदा भंग करने के कारण सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जो दिनांक 04.05.2013 को डिक्री किया गया। प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आया हुआ है एवं वे वादिया को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादिया के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे एवं बेदखल नहीं करे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्र खारिज करने एवं अप्राथीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीया उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे।

अपील संख्या 202/2016 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो.सं. 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित 1.136 है0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति रखी जावे । प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी ने पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 03.11.2016 को दोनों ही प्रकरणों का निर्णय करते हुए तारोबाई का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं महेन्द्रसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी तारोबाई ने उक्त दोनों अपीलें पेश की है। चूंकि दोनों अपीलों में विवादित भूमि एक होने से, पक्षकार एक होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है एवं मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधी. न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में एवं महेन्द्रसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि दोनों ही अपीले स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए तारोबाई का धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं महेन्द्रसिंह का खारिज किया जावे।

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि तारोबाई का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था इसलिए उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि महेन्द्रसिंह का मामला साबित था एवं उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधी.न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः दोनों अपीले खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 197/2016 तोरोबाई बनाम हरदीपसिंह निर्णय दिनांक 03.11.2016 व अपील संख्या 202/2016 तारोबाई बनाम महेन्दसिंह अधी.न्यायालय के एक ही निर्णय दिनांक 03.11.2016 के विरूद्ध पेश की है। दोनों ही अपीलाधीन आदेश एक दूसरे से सम्बन्धित होकर एक ही विषय वस्तु से सम्बन्धित होकर दोनों का निर्णय एक साथ किया जाता है। दोनों ही अपीलाधीन आदेशों में अपीलांट तारोबाई के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलिफ नही दी गई है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के कारकों की गलत व्याख्या की गई है। अतः अधी.न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया, अपील संख्या 202/2016 अधी. न्यायालय के प्रकरण संख्या 107/2015 महेन्द्रसिंह बनाम तारोबाई में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारको सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया मामला व अपरिमित क्षति का विवेचन रेस्पो. महेन्द्रसिंह के पक्ष में विवेचित होकर अपीलांट तारोबाई को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वह विवादित भूमि पर रेस्पों. के कब्जा काश्त में स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप न करे तथा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश दिये है बाबत अपील मीमो में ऐसे कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया कि अधी.न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारको के विवेचन में क्या त्रुटि की है साथ ही अपील मीमों की आपत्तियां एवं अपीलांट अभिभाषक की बहस दावे की मैरिट्स पर केन्द्रित रही। वहीं रेस्पो. अभिभाषक द्वारा अधी.न्यायालय के निर्णय की ताईद में

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपतहसीलदार हिन्दुमलकौर की रिपोर्ट कमांक 1508 दिनांक 05.06.2016 रेस्पों. के कथनों की पुष्टि करती है। अपीलाधीन आदेश की गहनता से परीक्षण करने पर अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुजाइंस नहीं होने से अपील खारिज योग्य है।

अपील संख्या 197/2016 अधी.न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/2016 तारोबाई बनाम हरदीपसिंह में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारको का विवेचन रेस्पो. के पक्ष में विवेचित होकर अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट के विरूद्ध निर्णित हुई है, इस प्रकार एक प्रकरण में अपीलांट को निषेधज्ञा से पाबन्द किया है दूसरे प्रकरण में अपीलांट का यह प्रार्थना कि रेस्पो. को पाबन्द किया जाये अस्वीकार की है। जो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है तथा अधी.न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा के कारको के विवेचन यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के विवेचन में कोई त्रुटि नहीं पाई जाने से अधी.न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप की गुजाइंस नहीं होने से दोनों ही अपीलें 197/2016 तारोबाई बनाम हरदीपसिंह व 202/2016 तारो बाई बनाम महेन्द्रसिंह खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर